संख्या-09/2026-1010-1-22-4-2025-200248

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 800-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय में उपलब्ध बचत रू0 30.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत मानक मद में रू0 30.00 लाख की पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-42683/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 18.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025 26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 800-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 01-वेतन में रू0 20.00 लाख व 03-मंहगाई भत्ता में रू0 10.00 लाख इस प्रकार कुल उपलब्ध बचत रू0 30.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत 02-मजदूरी में रू० 2.00 लाख, 29-अनुरक्षण में रू0 16.00 लाख, 42 अन्य व्यय में रू0 12.00 लाख इस प्रकार कुल रू० 30.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 18.11.2025 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 30.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,74,89,000 रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	1,64,89,000 रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख नवासी हजार मात्र	2025 - 2026
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	01 (वेतन)	2,91,48,000 रुपये दो करोड़ इक्यानबे लाख	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2,71,48,000 रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख	2025 - 2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			अड़तालीस हजार मात्र				अड़तालीस हजार मात्र	
कुल					₹ 30,00,000	₹ 30,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	42 (अन्य व्यय)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	2025-2026
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	29 (अनुरक्षण)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	36,00,000 रुपये छत्तीस लाख मात्र	2025-2026
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	02 (मजदूरी)	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 30,00,000	₹ 30,00,000		

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में प्रशा0वि0 समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा ।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	29 अनुरक्षण	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
3	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	42 अन्य व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
	कुल			**30,00,000(रुपये तीस लाख मात्र)**
महायोग		30,00,000(रुपये तीस लाख मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2026-1010-1-22-4-2025-200248, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।